



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कर्मांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क. 157 / अका. / शोध / वनस्पति / 2024

बिलासपुर, दिनांक. 03 JUL 2024

प्रति,

✓ Vivek Kumar Patel, (शोधार्थी)

वनस्पतिशास्त्र विभाग,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक दिनांक 08-04-2024 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) वनस्पति शास्त्र, विद्यापीठ- जीवविज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
"Phytochemical Screening and Anti-microbial Evaluation of some Medicinal Plants of Chhattisgarh, India "		Prof. D.K. Patel, Professor, Dept. of Botany Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयन कर्मांक	पंजीयन तिथि	नामांकन कर्मांक
वनस्पति शास्त्र विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)	225103508	08-04-2024	GGV/22/13108

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लेखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छ:माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति/अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपका शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व 03 प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क.गश.:1